न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

पूनर्विलोकन याचीका नम्बर 4/2013

प्रार्थी :–

कल्याणमल सोनी पुत्र श्री रामप्रसाद जाति सोनी निवासी मुआणा, तहसील नावां जिला नागौर राजस्थान।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. धर्मचन्द पुत्र स्वर्गीय श्री चम्पालाल जाति जैन (महाजन) निवासी मुआणा तहसील नावां जिला नागौर राजस्थान
2. प्रेमचन्द पुत्र स्वर्गीय श्री चम्पालाल जाति जैन (महाजन) निवासी मुआणा तहसील नावां जिला नागौर राजस्थान के कायम मुकामान
   - 2/1. श्रीमति विमला देवी पत्नि श्री प्रेमचन्द जाति जैन निवासी मुआना तहसील नावां जिला नागौर।
   - 2/2 सुशील कुमार पुत्र प्रेमचन्द जाति जैन निवासी मुआना तहसील नावां जिला नागौर।,
   - 2/3 प्रमोद कुमार पुत्र प्रेमचन्द जाति जैन निवासी मुआना तहसील नावां जिला नागौर।
   - 2/4 संदीप कुमार पुत्र प्रेमचन्द जाति जैन निवासी मुआना तहसील नावां,।
3. हीरालाल पुत्र स्वर्गीय श्री चम्पालाल जाति जैन (महाजन) निवासी मुआणा तहसील नावां जिला नागौर राजस्थान,
4. मोतीलाल पुत्र श्री शोभागमल जाति जैन महाजन निवासी मुआना तह. नावां
5. मुकेश पुत्र श्री शोभागमल जाति जैन महाजन निवासी मुआना तह. नावां
6. विकास अधिकारी पंचायत समिति कुचामन सिटी जिला नागौर
7. सरपंच ग्राम पंचायत मुआणा तहसील नावां जिला नागौर

Recall/Review के लिए आवेदन अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 विरूद्व निर्णय दिनांक 27/03/2006 बनुवान धर्मचन्द व अन्य बनाम कल्याणमल वगैरह पंचायत निगरानी संख्या 21/05 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर डीडवाना पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र मिश्रा आ.ए.एस ने निगरानी विरूद्व निर्णय आदेश दिनांक 13/08/2003 द्वारा पंचायत समिति कुचामन सिटी एवं अपील विरूद्व आदेश 11/7/2000 द्वारा ग्राम पंचायत मुआणा तथाकथित निर्णय दिनांक 05–07–77 का अनुसरण करते हुये प्रार्थीगण का पट्टा खारिज का प्रस्ताव किया।

प्रार्थी की तरफ से :– श्री मोहम्मद हनीफ एडवोकेट

अप्रार्थी की तरफ :– श्री समदर सिंह एडवोकेट

निर्णय

दिनाक : 09.04.2018

इस पूनर्विलोकन प्रकरण में रिट याचिका संख्या 6149/2006 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधुपर के दिनांक 18/01/2013 को पारित आदेश की अधीन प्रस्तुत recalling/review याचिका में मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को सुनकर स्वीकार किया जाकर देरी को माफ कर अनुमति प्रदान की गयी। न्यायालय हाजा की निगरानी संख्या 21/05 के आदेश के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गयी पूनर्विलोकन याचिका में पर्याप्त आधार उपलबध होने के कारण सुना जाकर इस न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किया जा रहा है।

इस मामले के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कल्याणमल की तरफ से पूनर्विलोकन याचिका अप्रार्थीगण धर्मचन्द वगैरह के विरूद्व इस न्यायालय के धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम की निगरानी संख्या 21/05 में पारित निर्णय आदेश दिनांक 18/01/2013 के उद्वरण "There is noting on record to sugest that the matter was only heard on the question of limitation and the order impugned was passed by the revision authority witout hearing the matter on merits in any case , if it is so the pertioner shall be at liberty to file an appropriate application before the revisional authority for recalling/review of the order passed". की ओर से उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय हाजा द्वारा जो निर्णय दिनांक 27/03/2006 को पारित किया गया है उसके विरूद्व कोई अपील नही की गयी है इसलिए उक्त निर्णय का आदेश 47 नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया सहिता के अधीन **Recall/Review** करने के लिये यह आवेदन प्रस्तुत की गयी है। निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये, अप्रार्थी धर्मचन्द के देहान्त के बाद उसके कायम मुकाम को नोटिस जारी किये गये जिनकी सम्पुष्ट तामिल हो चुकी है। इस पूनर्विलाकन याचिका की सुनवाई हेतु न्यायालय की निगरानी संख्या 21/05 शोभागमल बनाम कल्याणमल को जिला अभिलेखागार नागोर से तलब की गयी।

प्रार्थी कल्याणमल की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा कथन किये गये है कि अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 की ओर से एक अपील/रिविजन पीटिशन में तीन अलग अलग आर्डर दिनांक 05–07–77, 11–7–2000 एवं 13–8–2003 को चुनोती देते हुये माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष ग्राम मुआणा की आबादी में स्थित मकान का पट्टा संख्या 22 दिनांक 10.8.70 को जारी किया गया जिसका जागीरदार सुगनसिंह ने बेचाननामा प्रार्थी के पक्ष में जारी कर दिया। प्रार्थी ने स्थाई समिति वित प्रशासन की बैठक में अपील निर्णय दिनांक 05–07–77 द्वारा उक्त पट्टा पंचायत समिति कुचामन सिटी से निरस्त करवा दिया ग्राम पंचायत मुवाणा ने प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 11.7.2000 पारित कर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 के पट्टे को निरस्त कर दिया गया, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आदेश के विरूद्व पंचायत समिति कुचामन सिटी में अपील 37/02 प्रस्तुत गयी जिसे खारिज कर दिया गया। जिसमें कि ग्राम पंचायत मुवाणा द्वारा प्रस्ताव संख्या 2 पारित कर अप्रार्थीगण पट्टा

विचाराधीन मुकदमा संख्या 34/94 बअनुवान वादी कल्याणमल बनाम शोभागमल वगैरह बाबत स्वामित्व की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा में दिनांक 5.1.1989 में न्यायालय श्रीमान ऐ.सी.जे.एम. साहब परबतसर के यहा दावा प्रस्तुत करने के समय प्रस्तुत कर दी गई थी। उसी समय से अप्रार्थीगण धर्मचन्द वगैरह को पंचायत समिति कुचामन सिटी की अपील की जानकारी रही है। परन्तु अप्रार्थीगण 1 ता 5 द्वारा चुप्पी साधे रहे। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 द्वारा इस पैरा में बताये अनुसार प्रार्थी कल्याणमल व अप्रार्थी धर्मचन्द के मध्य न्यायालय सिविल न्यायाधीश कं. ख. नावां में इजराय संख्या 3/89 बअनुवान शोभागमल बनाम कल्याणमल निर्णय दिनांक 18.8.2004 में प्रार्थी धर्मचन्द के बहैसियत डिक्रीदार दिनांक 2.12.1999 को बयान बतौर D.W.H 1 हुये अप्रार्थी धर्मचन्द ने स्वीकार किया है कि ग्राम पंचायत मुआणा द्वारा जारी पट्टा पंचायत समिति कुचामन सिटी की वित्त प्रशासन की बैठक 05.7.77 द्वारा अपील के निर्णय मे निरस्त किया गया है। उपरोक्त कथनों व तथ्यो से स्पष्ट है अप्रार्थीगण धर्मचन्द वगैरह को पंचायत समिति कुचामन सिटी व ग्राम पंचायत मुआणा के निर्णयो की बखुबी जानकारी रही है, अब वे इस मौजुदा निगरानी के द्वारा दिनांक 5.7.1977 को हुये करीब 28 वर्षो पुराने निर्णय को निरस्त करवाना चाहते है। प्रार्थीगण द्वारा इस पैरा में बताये अनुसार की अप्रार्थीगण को दिनांक 06.02.02 एवं 8 नवम्बर 2005 के निर्णयो की जानकारी होने का कथन गलत किया है, इसके अलावा दिनांक 06.02.02 से लेकर श्रीमान के यहा प्रकरण प्रस्तुत करने के दिन तक हुये प्रतिदिन विलम्ब को अप्रार्थीगण ने स्पष्ट नही किया है। जिस कारण अप्रार्थीगण धर्मचन्द, प्रेमचन्द वगैरह अपील/निगरानी स्पष्टया मियाद बाहर है ओर उनके द्वारा प्रतिदिन विलम्ब का कोई सन्तोषजनक एवं ठीक कारण न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नही किया। जिस कारण प्रार्थीगण का धारा 5 मियाद अधिनियम का पार्थना पत्र सद्भाविक नही होने से व जानबुझकर तथ्यो को छुपाने के कारण कानुनन सन्धार्य नही हैं उक्त निर्णय में माननीय न्यायालय हाजा द्वारा प्रत्यक्षदर्शी भूल की है क्योकि जब कोई अपील/निगरानी उसके लिए विहीत परिसीमाकाल के पश्चात उपस्थापित की जाती है, तब उसके साथ ऐसे शपथपत्र द्वारा समर्थित आवेदन होगा जिसमें वे तथ्य वर्णित होगें जिन पर अपीलार्थी/निगरानीकर्ता न्यायालय का यह समाधान करने के लिए निर्भर करता है कि ऐसी अवधि के भीतर अपील/निगरानी न करने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण था, अपील/निगरानी को निपटाने में अग्रसर होने से पूर्व यथास्थिति अपील/निगरानी सुनवाई से पूर्व न्यायालय मियाद अवधी के बारे में अन्तिम रूप से विनिश्चिय किये जाने का प्रावधान है। अप्रार्थीगण 1 ता 5 की ओर से प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के आवेदन का प्रार्थीगण की ओर से जवाब व दस्तावेजात भी प्रस्तुत किये गये है। प्रकरण में प्रथम बार दिनांक 24/03/2006 को बहस भी केवल आवेदन अन्तर्गत धारा 5 समयावधि अधिनियम पर ही सुनी गई, इसके बावजुद प्रस्तुत मामले में माननीय न्यायालय द्वारा अपील की सुनवाई प्रारम्भ कर पूर्व प्रकरण संख्या 21/2005 में मियाद अवधी के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विनिश्चय नही किया गया है। जो माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे उक्त गलती प्रथम दृष्टवा अभिलेख के देखने से ही प्रकट हो जाती है इस परिपेक्ष्य मे माननीय

पारित करने में किया गया है जो माननीय न्यायायल हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27/03/2006 के Recall/Review कर प्रार्थी को पूनः सुनवाई का अवसर दिये जाने का पर्याप्त आधार उपलब्ध हे। उक्त परिपेक्ष्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा रिट पीटिशन संख्या 6149/2006 में बअनुवान कल्याणमल बनाम स्टेट आफ राजस्थान में दिनांक 18/01/2013 में श्रीमान न्यायालय हाजा के निर्णय रिदनांक 27/03/2006 के सन्दर्भ में Recall/Review पीटिशन प्रस्तुत करने की स्वतन्त्रता दी गयी है। उक्त मामले में सही एवं न्यायोचित निर्णय के लिए न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 27/06/2006 को पारित निर्णय को रिकॉल एवं पुनर्विलोवकन किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं।. प्रार्थी की ओर से Recall/ Review आवेदन प्रस्तुत करने की माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा रिट पीटिशन संख्या 6146/2006 में अनुमति प्रदत्त क़ी गयी है उक्त मामला समानान्तर न्यायिक कार्यवाही होने के कारण अनुच्छेद 14 मियाद अधिनियम के तहत छुट प्राप्त है, इसके अलावा प्रार्थी के उच्च न्यायालय जोधपुर में नियुक्त चेतन प्रकाश सोनी एडवोकेट राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 24/07/2013 को प्राप्त होने के बाद जोधपुर जाकर उनसे सम्पर्क करने पर उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा उक्त रिट पीटिशन में पारित निर्णय/आदेश की दिनांक 20/07/13 को प्राप्त प्रमाणित प्रतिलिपि देकर हस्तगत Recall/Review कार्यवाही करने की सलाह देने पर प्रार्थी को जानकारी होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्दर किया सुनवाई हेतु प्रस्तुत है, अप्रार्थीगण द्वारा सिविल न्यायालय नावा में पट्टा निरस्तीकरण हेतु Recall/ Review आवेदन स्वीकार कर न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27/3/2006 को Recall/Review कर अपास्त किया जावे ओर मामले को पूनः सुनवाई कर फ्रेस निर्णय दिया जावे।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा इस प्रार्थी के पूनर्विलोकन याचिका का जवाब प्रस्तुत नही किया। अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी की पूनर्विलोकन याचिका का विरोध किया गया ओर अप्रार्थीगण की तरफ से प्रस्तुत रिविजन संख्या 21/05 समयावधी के भीतर प्रस्तुत करने के कारण प्रार्थी की पूनर्विलोकन याचिका खारिज करने का निवेदन किया गया।

न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की बहस पर मनन किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पट्टा संख्या 22 दिनांक 10/08/1970 के विरूद्व कल्याणमल बनाम ग्राम पंचायत मुआणा प्रस्तुत की गयी जिस पर तत्कालीन सरंपच मुआणा प्रस्तुत की गयी जिस पर तत्कालीन सरंपच गंगाराम सरंपच मांगीलाल व सरपच भोलाराम व तत्कालीन वार्ड पंच रामुराम पुसाराम व पूर्व सरपंच तुलछीराम की मौजुदगी में वादग्रस्त मकान का दिनांक 11/04/1971 को मोका देखा गया क्त अपील में पंचायत समिति कुचामन सिटी की स्थाई वित्त प्रशासन की बैठक दिनांक 05/07/1977 में तत्कालीन अध्यक्ष गंगाराम की अध्यक्ष में अपीलार्थी कल्याणमल की अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत मुआणा द्वारा अपीलार्थी कल्याणमल की अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत मुआणा द्वारा पट्टा जारी करने के निर्णय दिनांक 10/08/1970 व पंचायत द्वारा जारी पट्टा संख्या 22 दिनांक

निर्णय लिया गया जिसके विरूद्व अप्रार्थीगण ने पंचायत समिति कुचामन सिटी की वितत व स्थाई समिति कुचामन सिटी में प्रार्थी कल्याणमल के विरूद्व अपील संख्या 35 दिनाक 26/12/2002 को प्रस्तुत की गई जिसका निर्णय अप्रार्थी धर्मचन्द वगेरह के विरूद्व एवं प्रार्थी कल्याणमल के पक्ष में दिनांक 13/08/2003 को किया जिसकी जिसकी रिविजन अवधी व्यतीत होने के बाद दिनांक 06/12/2005 को प्रस्तुत किया गया, यहा यह उल्लेखनीय है कि पंचायत समिति कुचान सिटी के समक्ष अपील अधिकारी द्वारा दिनांक 05/07/1977 को अपील का निर्णय करने एवं उक्त अपील में देखे गये मौके की रिर्पोट व निर्णय/आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थी कल्याणमल एवं अप्रार्थीगण के विरूद्व न्यायालय न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड नावा में विचाराधीन मुकदमा नम्बर 34/94 बअनुवान कल्याणमल बना शोभागमल वगैरह बाबत स्वामित्व की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा में दिनांक 05/01/1989 में न्यायालय सिविल जज परबतसर के यहा दावा प्रस्तुत करने के समय ही प्रस्तुत कर दी गई उसी समय से अप्रार्थीगण धर्मचंद वगैरह को पंचायत समिति कुचामन सिटी की अपील की जानकारी रही है। परन्तु अप्रार्थीगण वर्ष 2002 तक इस सम्बन्ध में चुप्पी साधे रहे। प्रार्थी कल्याणमल अप्रार्थी धर्मचन्द ने निर्णय दिनांक 18/08/2004 में अप्रार्थी धर्मचन्द के मध्य न्यायालय सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड नावां में ईजराय संख्या 13/04 बअनुवान शोभागमल बनाम कल्याणमल निर्णय दिनांक 18/08/2004 में अप्रार्थी धर्मचन्द ने बहैसियत डिक्रीदार दिनांक 21/12/1999 को बयान बतौर D.H.W.1 हुयी जिसमें दिनांक 22/04/2003 को जिरह के दौरान धर्मचन्द ने ग्राम पंचायत मुआणा द्वारा जारी पट्टा पंचायत समिति की बैठक 05/07/1977 द्वारा अपील के निप्रय में निरस्त किया जाना स्वीकार किया हें उपरोक्त तथ्यो से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण धर्मचन्द वगैरह को पंचायत समिति कुचामन व ग्राम पंचायत मुआणा के निर्णयो की बखुबी जानकारी रही है। अब वे इस मौजुदा निगरानी के द्वारा दिनांक 05/07/1977 को अर्थात 28 वर्षो पूर्व हुये निर्णय/आदेश को खारिज करवाना चाहते है। अप्रार्थीगण के द्वारा इस पैरा में बताये अनुसार ही अप्रार्थीगण को दिनांक 06/02/2002 एवं 09 नवम्बर 2005 के निर्णयो की जानकारी होने का कथन गलत है। इसके अलावा दिनांक 06/02/2002 से लेकर यहा न्यायालय में मौजुदा प्रकरण प्रस्तुत करने के दिन तक हुये दिन प्रतिदिन के विलम्ब को स्पष्ट नही किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा नावा सिविल न्यायालय में उक्त पट्टे की निरस्तीकरण की घोषणा के सम्बन्ध मे किया गया दावे भी खारिज हो चुके है। निगरानी संख्या 21/2005 में दिनांक 27/03/06 के निर्णय से पूर्व धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र अनिर्णित रह गया है प्रार्थी की तरफ से जो न्यायिक दृष्टान्त आर.एल डब्ल्यु 1956 पेज 303 से 305, आल एल डब्ल्यु 2001 राज. पेज 278 से 280, ए.आई.आर 1995 एम.पी. पेज 161 से 165, डी.एन.जे (राज) 1996 पेज 735 प्रस्तुत की गयी। परिणाम स्वरूप प्रार्थी की तरफ से प्रस्तुत पूर्नविलोकन याचिका न्यायपूर्ण पर्याप्त एवं मजबुत तथ्यो पर आधारित होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य है। अप्रार्थीगण धर्मचन्द वगैरह द्वारा प्रस्तुत अपील/निगरानी स्पष्ट तौर पर मियाद के बाहर है ओर विलम्ब को क्षमा करने हेतु सन्तोषजनक एवं पर्याप्त कारण अप्रार्थीगण

:: आदेश ::

फलतः अप्रार्थीगण धर्मचन्द द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट सदभावी नही होने एवं जानबुझकर तथ्यो को छुपाने के कारण सन्धार्य नही होने के कारण प्रार्थी की तरफ से प्रस्तुत पूनर्विलोकन आवेदन स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण की तरफ से प्रस्तुत निगरानी संख्या 21/2005 बअनुवान धर्मचन्द वगैरह बनाम कल्याण मल अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 13/8/2003 पंचायत समिति कुचामन सिटी अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 09.04.17 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)